



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 26.08.2024

मु0अ0सं0 -173/24, धारा-150 रेलवे एक्ट 1989 व 327(1) बीएनएस से सम्बंधित प्रकाश मे आये 02 अभियुक्तगण को कायमगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री जय सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.08.2024 को थाना कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/24 धारा 150 रेलवे एक्ट 1989 व धारा 327(1) बीएनएस में प्रकाश मे आये 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

01. देव सिंह पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम अरियारा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।
02. मोहन कुमार उर्फ सोन्टी पुत्र मनीराम कश्यप निवासी ग्राम अरियारा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.08.2024 को श्री जहीर अहमद खान पुत्र स्व0 फैरुल्लाह खान हाल तैनाती - सीसेई/रेलपथ/फतेहगढ़ की लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आम की लकड़ी के टुकड़े को अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पर रखने जिससे यात्रियों के जान माल का संकट उत्पन्न होने तथा चल स्टाक में बाधा उत्पन्न करने के सम्बंध में कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 150 रेलवे एक्ट 1989 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल आदि साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में 02 अभियुक्तगण क्रमशः 01.देव सिंह पुत्र कमलेश कुमार 02.मोहन कुमार उर्फ सोन्टी पुत्र मनीराम कश्यप निवासीगण ग्राम अरियारा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया, तथा धारा 327(1) बीएनएस की बढौत्तरी करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को आज दिनांक 26.08.2024 को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर गलती की माफी मांगते हुये बताया कि हम लोगो समय करीब 09 बजे रात्रि में खेत पर पहुँचे थे। खेत के आस पास कोई नहीं था। हम लोगो को लगा कि आज अच्छा मौका है।इसीलिए हम लोगो ने खेत के पास से लगे हुए प्रमोद के खेत में लगे हुए आम के पेड के नीचे रखी हुई आम की लकड़ी को उठाकर रात्रि में मौका पाकर रेलवे लाइन के ऊपर रेल पलटाने व उसमें बैठी सवारियों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से रेलवे लाइन पर आम की लकड़ी के टुकड़े को डाल दिया। रेलगाडी पलटाकर हम दोनों ख्याती पाना चाहते थे। इसीलिए हम दोनों ने रेल को पलटाने के लिए आम के लकड़ी के टुकड़े को रेलवे लाइन पर रखा था लेकिन रेलगाडी पलट नहीं पायी थी। साहब डर के कारण आज हम दोनों दिल्ली जा रहे थे कि आपने पकड लिया। साहब गलती हो गयी है अब दोबारा एसा कभी नहीं करेंगे।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 राम अवतार –कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
2. उ0नि0 विश्वनाथ आर्य –कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
3. उ0नि0 कृष्णकुमार कश्यप –कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
4. उ0नि0 प्रमोद कुमार –कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
5. का0 रोहित कुमार –कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
6. का0 राजेश शर्मा –कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 27.08.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177/2024 धारा 308(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2024 धारा 308(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त ध्रुव कुमार उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को 01 अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

01.ध्रुव कुमार उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 26.08.2024 को थाना मऊदरवाजा पर तहरीर प्राप्त हुयी कि वादी श्री रवेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम कुमार निवासी ग्राम नूरपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को अभि० ध्रुव कुमार उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ने सिर पर अवैध तमंचा रखकर उससे दबागई करते हुये रंगदारी में रुपयों की माँग की और जानमाल की धमकी दी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 177/2024 धारा 308(5) BNS बनाम अभि० ध्रुव कुमार उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र निवासी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम दिनांक 27.08.2024 को अभि० ध्रुव कुमार उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र उपरोक्त को 01 देशी अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु०अ०सं० 180/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ध्रुव कुमार उपरोक्त ने पूछने पर जुर्म की माफ़ी मांगते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा० न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त ध्रुव कुमार का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 177/2024 धारा 308(5) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं० 180/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री अमित गंगवार
2. उ०नि० श्री राघवेन्द्र सिंह
3. आ० मुनवेन्द्र सिंह
4. आ० गौरव
5. आ० विपिन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 27.08.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 141/2024 धारा 191(2)/115/(2)/352/351(2)/105 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/2024 धारा 191(2)/115/(2)/352/351(2)/105 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.मोहनलाल उर्फ पुजारी पुत्र लंकुश, 2.शिव कुमार पुत्र राम नरेश निवासीगण ग्राम रठौरा मोहदीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मोहनलाल उर्फ पुजारी पुत्र लंकुश वर्ष निवासी ग्राम रठौरा मोहदीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. शिव कुमार पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम रठौरा मोहदीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 24.07.2024 को ग्राम रठौरा मोहदीनपुर में बोरिंग के विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति हरिश्चन्द्र पुत्र रामनरेश निवासी रठौरा मोहदीनपुर थाना जहानगंज को लाठी डण्डों से मारा पीटा गया था, जिससे हरिश्चन्द्र उपरोक्त गम्भीर रूप से घायल हो गया। दिनांक 30.07.2024 को दौराने इलाज सिटी हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में हरिश्चन्द्र उपरोक्त की मृत्यु हो गयी । दिनांक 01.08.2024 को वादिनी सीमा देवी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0- 141/2024 धारा 191(2)/115/(2)/352/351(2)/105 बीएनएस बनाम 05 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में दिनांक 27.08.2024 को वांछित 02 अभियुक्तगण 1.मोहनलाल उर्फ पुजारी पुत्र लंकुश, 2.शिव कुमार पुत्र राम नरेश निवासीगण ग्राम रठौरा मोहदीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने अपनी सफाई वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्तगण मोहनलाल उर्फ पुजारी व शिव कुमार का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 141/2024 धारा 191(2)/115/(2)/352/351(2)/105 बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी थाना जहानगंज
2. उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल
3. हे0का0 सुनील कुमार
4. का0 दुर्गेश कुमार
5. का0 अमित कुमार ।







खारबन्दी कुयानबूट, उत्तर प्रदेश, भारत
ऑफिसर्स कॉलोनी, आवास विकास कॉलोनी, फर्रुखाबाद
27.379871°
79.568801°
27/08/24 11:15 AM GMT +05:30



खारबन्दी कुयानबूट, उत्तर प्रदेश, भारत
9HH9+WJJ, Nangla Khairband, Kharbandi Kuiyanboot,
209625, India
Lat 27.379877°
Long 79.568988°
27/08/24 12:01 PM GMT +05:30



खारबन्दी कुयानबूट, उत्तर प्रदेश, भारत
9HH9+WJJ, Nangla Khairband, Kharbandi Kuiyanboot,
209625, India
Lat 27.379892°
Long 79.568928°
27/08/24 12:00 PM GMT +05:30